

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 09.07.25

क रीडर/2025/5860

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गणपतसिंह पुत्र
धारसिंह 2 भरतसिंह
पुत्र नेमसिंह जाति
रावणा राजपूत
निवासी नाथुजी का
बंधा बाड़मेर तहसील
व जिला बाड़मेर।

1 भगवानसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत निवासी
गांधी नगर बाड़मेर 2 लीलसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति
राजपुत निवासी डीगड़ा बाड़मेर। 3 ओमप्रकाश पुत्र
नाथुसिंह जाति राजपुत निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर 4
कौशल्या देवी पत्नि ईश्वरसिंह 5 गणपतसिंह पुत्र
धारसिंह 6 पपु देवी पत्नि डालुसिंह 7 मुकेशसिंह पुत्र
नेमसिंह जातियान राजपुत निवासी रामदेव नगर,
नाथुसिंह का बंधा बाड़मेर 8 ओमसिंह 9 पीरसिंह उर्फ
परमेश्वरसिंह 10 फुलसिंह 11 रमेशसिंह पिसरान
मगसिंह 12 लेहरो पत्नि मगसिंह 13 हड्डुमानसिंह पुत्र
मगसिंह 14 निम्बसिंह 15 माणकसिंह पिसरान इन्द्रसिंह
16 भंवरसिंह पुत्र हरखसिंह जाति रावणा राजपुत
निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 202/2025

दिनांक- 01/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 852/257 रकबा 0.4856 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति
में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी


दिनांक- बाड़मेर

09.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5861-64

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गणपतसिंह पुत्र धारसिंह जाति राजपुत निवासी नाथुजी का बंधा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भगवानसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत निवासी गांधी नगर बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप बाड़मेर अधिकारी
बाड़मेर